द्वितीय अध्याय

अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकार

Estelar

द्वितीय अध्याय

अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकार

भारत में जनजातियों की परिकल्पना मुख्य रूप से वृहत भारतीय समाज से उनके भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के रूप में की जाती है और इसमें उनके सामाजिक रूपान्तरण के चरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही वजह है कि सामाजिक रूपान्तरण के विभिन्न स्तरों पर समूहों और समुदायों का एक विस्तृत दायरा जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि जनजातियां वृहत्तर भारतीय समाज से पृथक रहती रही हैं। अपने परिवास के प्रदेश पर शासन में उनकी स्वयत्तता है। उनका भूमि वन और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण है और वे स्वयं के कानूनों, परम्पराओं और रीति–रिवाजों से शासित हैं। विकास केवल सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता का मापक नहीं है वरन् यह समुदायों के सतत् परिवर्तन की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर विकास का अर्थ है एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वांछित दिशा में परिवर्तन। विकास योजनात्मक ढंग से विकसित और विकासशील देशों के समाजों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रारूप बन चुका है। जिससे मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन, गरीबी, निरक्षरता एवं सामुदायिक अप्रगतिशीलता दूर की जानी है। आदर्शात्मक प्रारूप के बाहर विशुद्ध अर्थगणितीय दृष्टि से भी विकास पिछड़े समाज की प्रगति का योजनाबद्ध ढाँचा है। इस रूप में यह एक लक्ष्य भी है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के सैद्धांतिक पक्ष पर दो तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है– प्रथम, विकास को हम सतत् प्रक्रिया के रूप में लेते हैं द्वितीय, विकास के लक्ष्य आदर्शात्मक न होकर व्यावहारिक एवं योजनात्मक होंगे। गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण एवं भूखमरी की घटना जनजातीय क्षेत्रों में प्रमुखता से पाई जाती है इसकी पुष्टि शोधों एवं सरकारी रिपोर्टें से भी होती है। अतएव जनजातीय विकास का प्रारम्भिक ढाँचा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अंतिम व्यक्ति तक की जाने से परिलक्षित है।

Estelar

ब्रह्मदेव शर्मा ने लिखा है, ''स्वतंत्रता के पश्चात् आदिवासी विकास के लिए सिद्धान्त रूप से पूर्ण अलगाव और स्वछन्द आर्थिक विकास के बीच मध्यमार्ग स्वीकार किया गया है।''[1] यद्यपि जनजातियों पर विकास के भिन्न–भिन्न प्रभाव पड़े हैं। **ब्रह्मदेव शर्मा** आगे लिखते हैं कि, ''मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में विकास प्रक्रिया आदिवासी समाज को एक ओर छोड़ती हुई अग्रसर हो रही है। वह उसकी नई चुनौतियों से असम्बद्ध है। अधिकांश आदिवासी इस तीव्र परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि नई व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक शिक्षा से भी वे अभी तक महरूम रहे हैं।''[2]

विकास की रणनीति का एक उद्देश्य सामाजिक संरचना न बढ़ाने वाली योजना का लक्ष्य स्वीकार करना है। वैसे जनजातीय समाज औद्योगिक तकनीकी सामाजिक संरचना की परिधि का सीमांत समुदाय होता है। एक धारणा यह भी है कि इन्हें गरीब समझा जाता है। विकास का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी जनजातीय समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी बनता है।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास की समस्या, समाज के अन्य वर्गों के विकास की समस्या से बुनियादी तौर पर भिन्न है। अन्य वर्गों का विकास जहॉ कुछ नए कार्यों के क्रियान्वयन से ही हो सकता है वहाँ जनजातियों का सर्वांगीण विकास इस बात पर निर्भर है कि जिन कारणों से जनजातीय क्षेत्र या समाज पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं वे कारण किस सीमा तक समाप्त हुए हैं। जनजातियों के विषय में विकास के नये काम तब ही लाभप्रद एवं जीवन को परिवर्तन करने वाले सिद्ध हो सकते हैं जब पिछड़ेपन के कारणों को पहले समाप्त किया जाए।

ब्रिटिश शासन काल में 18वीं शताब्दी से ही जनजातियों के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए जैसे–1773–1798 (क्लीवलैण्ड समझौता), 1976 (रेगुलेशन नं.–1), 1827 का रेगुलेशन, 1831 का रेगुलेशन, 1839 (विल्किन्सन नियमावली), 1855 का रेगुलेशन, 1874 का अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम हैं।

Estelar

राज्यों का संघ भारत एक प्रभुतासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातंत्रीय गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारतीय गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवम्बर, 1949 ई0 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू हुआ। इसमें समानता और विचारों की अभिव्यक्ति को ही मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया अपितु शोषण से रक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण को भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। जनजातियों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।

संवैधानिक प्रावधान –

भारत के संविधान में जनजातियों के विकास के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान[3] किए गए हैं जो निम्न हैं–

- राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। (अनुच्छेद 14).
- राज्य,सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। (अनुच्छेद 15).
- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी । (अनुच्छेद 16).
- राज्य, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के लिए उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगा। (अनुच्छेद 16(4)).
- राज्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त निर्बधन जहाँ तक वे भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण

Estelar

का और भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की कानूनी व्यवस्था करेगा। (अनुच्छेद 19(5)).

- राज्य, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करेगा। (अनुच्छेद 23).
- राज्य, भारतीय नागरिकों के किसी भी ऐसे अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। (अनुच्छेद 29).
- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। (अनुच्छेद 46).
- राज्य, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का भारसाधक मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करेगा। (अनुच्छेद 164).
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखेगा। (अनुच्छेद 243 (4)).
- राज्य, पांचवी अनुसूची के माध्यम से, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों से अन्यथा किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद् की स्थापना करेगा। (अनुच्छेद 244(1)).
- कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के स्वयं में नामित करने के द्वारा और साथ ही जिला परिषदों का गठन करने के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची के माध्यम विशेष प्रावधान करेगा। (अनुच्छेद 244(2)).

Estelar

- राज्य, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करेगा । (अनुच्छेद 275(1)).
- राज्य, लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करेगा । (अनुच्छेद 330).
- राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। (अनुच्छेद 332).
- राज्य, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखेगाा (अनुच्छेद 335).
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक सुरक्षापायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच मानीटरिंग और मूल्याकंन करना है। (अनुच्छेद 338).
- राष्ट्रपति, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा किसी भी समय पर कर सकेगा। (अनुच्छेद 339).
- राज्य, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की तथा उन कठिनाइयों की जिनके अंतर्गत वे श्रम करते है, की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सिफारिश करेगा। (अनुच्छेद 340).
- राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों में या उनमें यूथों को विनिर्दिष्ट

Estelar

कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा। (अनुच्छेद 342(1)).

- नागालैण्ड, असम और मणिपुर के जनजाति व पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष उपबंध। (अनुच्छेद 37 (1),(2) और (3)).

पाँचवी अनुसूची–

भारतीय संविधान में पांचवी अनुसूची द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किये गये हैं। ऐसे आठ राज्य हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं अर्थात आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजराज, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान। इन राज्यों के राज्यपालों के पास विशेष उत्तरदायित्व तथा शक्तियां हैं। इन राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदें हैं। (इनके अतिरिक्त तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भी जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है फिर भी सांविधिक सलाहकार परिषदें हैं)। इन राज्यों के राज्यपालों के पास किसी अनुसूचित क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिए विशेषकर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनिमय (रेगयूलेशन) बनाने की शक्ति हैं–

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या आपस में ही भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधित करना।

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजाति के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनिमयन करना।

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धन उधार देते हैं साहूकार के रूप में कारोबार का विनियमन करना।

संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पाँचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति ऐसा होने के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में राज्य के सम्बन्ध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् घोषित करता है।

पाँचवी अनुसूची के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए मापदण्ड हैं– जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य, सघनता तथा क्षेत्र का

Estelar

उचित आकार, व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका और निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन ।

वर्ष 2010 तक राष्ट्रपति के आदेश से आंघ्रप्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। पाँचवी अनुसूची की प्रमुख विशेषताएँ हैः (i) राज्यपाल की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ (ii) राष्ट्रपति का राज्यपाल का प्रतिवेदन और (iii) जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन।

छठी अनुसूची –

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम (उत्तरी कछार, पर्वतीय जिला तथा कर्बी अंगलोग जिला), मेघालय मिजोरम तथा त्रिपुरा (स्वशासी पर्वतीय जिला) राज्यों के जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित प्रावधान हैं। इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषदें तथा स्वशासी प्रादेशिक परिषदें हैं। इन क्षेत्रों में स्वप्रबन्धन की पुरानी परम्परा रही है। ये स्वशासी परिषदें न केवल विभिन्न विभागों तथा विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं वरन उन्हें विविध विषयों से सम्बन्धित विधि बनाने की शक्ति भी है। जैसे भूमि, वन झूम खेती, ग्राम या कस्बा पुलिस तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित ग्राम या कस्बा प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक तथा सामाजिक रीति–रिवाज।

संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिला/जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से प्रशासन के लिए प्रावधान करती है।

सामान्यतः जनजातीय क्षेत्रों का आशय उन क्षेत्रों से है जहाँ जनजातीय क्षेत्रों की बहुलता है। तथापि भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख उन क्षेत्रों के रूप में किया गया है जो क्षेत्र छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में संलग्न तालिका के भाग 2, 2क और 3 में विनिर्दिष्ट है। दूसरे शब्दों में वे क्षेत्र जहाँ छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं,

Estelar

जनजातीय क्षेत्रों के रूप में माने जाएँगे। इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्वायत्त परिषदें स्थापित हो गई है और प्रत्येक परिषद में तीस सदस्य है। ये परिषदें चुने हुए निकाय हैं और इनके पास कार्यकारी, विकासात्मक तथा वित्तीय दायित्त्वों के अलावा विधान और न्याय प्रशासन की शक्तियाँ है। वर्ष 2010 तक जनजातीय क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है –

भाग– 1	असम	1. उत्तर कछार पर्वतीय जिला।
		2. कर्बी–आंगलोंग जिला।
		3. बोडोलैण्ड क्षेत्रीय जिला।
भाग– 2	मेघालय	1. खासी पर्वतीय जिला।
		2. जैतिया पर्वतीय जिला।
		3. गारो पर्वतीय जिला।
भाग–2(i)	त्रिपुरा	1. त्रिपुरा जनजाति जिला।
भाग–3(i)	मिजोरम	1. चकमा जिला।
		2. मारा जिला।
		3. लई जिला।

जिला और क्षेत्रीय परिषदों को जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, पोखरों, नौकाओं, मत्सत्य क्षेत्रों, सड़को भूतल परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन के सम्बन्ध में राज्यपाल की मंजूरी से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

उत्तरी कछार पर्वतीय इलाकों और कर्बी–आंगलोंग की स्वायत्त परिषदों को माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, जनस्वास्थ्य तथा सफाई, लघु सिंचाई आदि के सम्बन्ध में भी कानून बनाने के अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

परिषदों को कुछ अपराधों और मुकदमों की सुनवाई के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकार दिए गए हैं। इन्हें अपने

Estelar

क्षेत्र में राजस्व और कर एकत्र करने के लिए राजस्व प्राधिकरण के अधिकार और प्राकृतिक संशोधनों के नियम और प्रबंधन के लिए अन्य अधिकार भी दिए गए हैं।

अनुसूचित जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: संविधान की धारा 342 के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियों के समान जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूह अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की पहचान के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है: अनुच्छेद 342(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के संदर्भ में और राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जनजाति या उसके समूह को उनके राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में इन समुदायों को उनके लिए संविधान में प्रदत्त संरक्षण उपलब्ध कर, संवैधानिक हैसियम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 342 (1) के अनुसार केवल वे जनजातियां अनुसूचित जनजातियां मानी जाएंगी जिनके बारे में राष्ट्रपति प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए तत्संबंधी घोषणा करेंगें। इस सूची में किसी तरह का संशोधन संसदीय कानून की धारा 342 (2) के जरिए ही किया जा सकता है। संसद कानून बनाकर किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या उससे किसी समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ सकती है या उससे हटा सकती है। अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशेष के बारे में है। आवश्यक नहीं कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय, किसी दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति मानी जाए।

जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित करना और उससे हटाना

इस प्रकार, किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विशेष के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के प्रारंभिक विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना से हटाए जाते हैं। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान

Estelar

भी है कि अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/केंद्रशासित प्रदेशवार सूची बनाई जाए न कि अखिल भारतीय आधार पर।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के आधार इस प्रकार हैं:

(क) आदिम विशेषताएं

(ख) भिन्न संस्कृति

(ग) बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपर्क से बचना,

(घ) भौगोलिक अलगाव यानी पिछड़ापन।

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन ये मापदंड पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। इनमें वर्ष 1931 की जनगणना और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (लोकुर समिति) 1965 के संशोधन पर सलाहकार समिति और अनुसूचित जनजातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 (चंदा समिति) 1969 की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है।

भारत के संविधान की धारा 342 के तहत 700 से अधिक (इनमें से कई एक से अधिक राज्यों में हैं) जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। ये देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हैं। गौरतलब है कि हरियाणा, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने में ध्यान देने योग्य सामान्य बिंदु:

अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर जनजातीय समुदाय का होने का दावा करता है तो निम्न बातों की पुष्टि की जानी चाहिए:

(क) वह व्यक्ति जिस समुदाय का होने का दावा कर रहा है, क्या वह और उसके अभिभावक वास्तव में उस समुदाय से संबंध रखते हैं,

(ख) क्या वह समुदाय संबंधित राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है,

Estelar

(ग) क्या वह व्यक्ति उस राज्य और उस राज्य के तहत उस क्षेत्र से संबंध रखता है जहां उस समुदाय को अनुसूचित किया गया है,

(घ) वह कोई भी धर्म अपना सकता है,

(च) वह व्यक्ति या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि को इस संदर्भ में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के दिन उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए,

(छ) अगर किसी व्यक्ति की जनजाति उसके गृह राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में अनुसूचित है और वह व्यक्ति इस संदर्भ में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में अस्थायी रूप से अपने स्थायी आवास से दूर हो तो वह भी अनुसूचित जनजाति के माना जा सकता है,

(ज) लेकिन उसे अपने अस्थायी आवास के स्थान पर अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी जनजाति को राष्ट्रपति के आदेश के तहत उसके अस्थायी आवास राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया हो

(झ) अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस संदर्भ में राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ हो तो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के प्रयोजन के लिए उसका आवास स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उसके माता पिता का स्थायी आवास होगा। वह लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं है।

प्रवास पर अनुसूचित जनजाति के दावे

(क) जब कोई व्यक्ति राज्य के उस हिस्से में प्रवास करता है जहां उसका समुदाय अधिसूचित है और उसी राज्य के उस हिस्से में जाता है जहां उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है तब भी वह व्यक्ति उस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

Estelar

(ख) जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है तब वह व्यक्ति केवल उसी राज्य का अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाएगा जहां का वह मूल निवासी है, न कि उस राज्य का जहां वह रह रहा है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का होने का दावा

इस संदर्भ में मार्गदर्शन करने वाला सिद्धान्त कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, केवल इस आधार पर अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अनुसूचित जनजाति के सदस्य से विवाह किया है। इसी प्रकार, कोई अनुसूचित जनजाति का सदस्य इसी जाति का सदस्य बना रहेगा, चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति का न हो।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना

अनूसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित निर्धारक प्रमाणपत्र निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधीश/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त /उपजिलाधीश/प्रथम श्रेणी / वेतनभोगी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय जिलाधीश/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के दर्जे से नीचे का न हो),

(2) मुख्य महाप्रांतीय मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य महाप्रांतीय मजिस्ट्रेट / महाप्रांतीय मजिस्ट्रेट

(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के दर्जे से कम न हो

(4) उम्मीदवार और उसका परिवार आम तौर पर जिस क्षेत्र में रहता है वहां का उपमंडलीय अधिकारी

(5) प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह का प्रशासक/सचिव)

Estelar

सत्यापन के बिना अनूसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारियों को दंड

अगर कोई अधिकारी बिना उचित सत्यापन के लापरवाही से अनूसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह उस कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत होगी।

अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के प्रक्रिया में छूट

अनूसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों को जो रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं उन्हें अपने मूल राज्य से एसटी प्रमाणपत्र हासिल करने में काफी मुश्किलें आती हैं। इस कठिनाई को दूर करने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रशासन का निर्धारित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अपने माता/पिता को जारी प्रामाणिक प्रमाणपत्र हाजिर करने का अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। अगर अधिकारी को लगता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले विस्तृत जांच जरूरी है तो वह जांच के बाद प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। प्रमाणपत्र इस आधार के बिना जारी किया जाएगा कि व्यक्ति का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि जहां पर वह रह रहा है, उस राज्य में वह लाभ का पात्र नहीं होगा।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने या सूची से हटाने की प्रक्रिया

अनूसूचित जनजातियों को सूची में सम्मिलित करने या सूची से हटाने के दावों का निर्णय करने के तौर–तरीकों को सरकार ने जून 1999 में स्वीकृति दे दी। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार केवल उन्हीं दावों पर विचार किया जाएगा जिन पर संबंधित राज्य सरकार, भारत का महापंजीयक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग सहमत होंगे। जब भी किसी

Estelar

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातिया की सूची में किसी समुदाय को सम्मिलित किए जाने के प्रतिवेदन मंत्रालय को प्राप्त होंगे, तो वह संविधान की धारा 342 के तहत अपेक्षित सिफारिशें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को भेज देता है। अगर संबद्ध राज्य सरकार प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक के पास भेज दिया जाता है। भारत के महापंजीयक अगर राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वे केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव की सिफारिश को करते हैं। तब सरकार इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेज देती है। अगर यह आयोग भी इस संबंध में सिफारिश करता है तो इस मामले को संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास संसोधन के लिए जाने से पहले प्रस्ताव को संसद में बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सन् 1990 में 65वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया था। बाद में सन् 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक से 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया। इस प्रकार **अनुच्छेद 338(1)** के अनुसार, ''अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नाम से ज्ञात होगा।''[4] यह अधिनियम 19.02.2004 से अस्तित्व में आया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, राँची, रायपुर एवं शिलांग में स्थित है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई नीतियों की समीक्षा करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन

Estelar

अन्य सदस्य होंगे। नियमानुसार इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आयोग के निम्न कार्य होंगे –

i- संविधान में, उस समय के कानूनों में और सरकारी आदेशों में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो उपाय बताए गए हैं वे किस तरह लागू किए जाते हैं, आयोग इस बात की जाँच करेगा और उनका मूल्यांकन भी करेगा ।

ii- इन अधिकारों से वंचित किए जाने की विशिष्ट शिकायतों की जाँच करेगा।

iii- इन जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाएँ तैयार करने में भाग लेगा, सलाह देगा और प्रगति का मूल्यांकन करेगा ।

iv- आयोग राष्ट्रपति को इस बात की वार्षिक रिपोर्ट देगा कि ये रक्षा उपायों को कितने कारगर ढंग से लागू किए जा रहे हैं।

v- इन रिपोर्टों में इस बारे में सिफारिश भी की जाएगी कि इन्हें कारगर ढंग से लागू करने के लिए तथा उनके आर्थिक विकास व सामाजिक विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाए।

vi- अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के बारे में आयोग को राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य के बारे में सिफारिश करे। राष्ट्रपति इस आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएँगे। जिनके साथ इस बात की व्याख्या रहेगी कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए जाएँगे और नहीं उठाए गए तो क्यों नहीं उठाए गए। यदि इस रिपोर्ट का कोई भाग किसी राज्य से सम्बद्ध होगा तो उस राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ भी उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्टूबर, 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को विभाजित करने के द्वारा एक समन्वित और आयोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यन्त अलाभान्वित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों

Estelar

के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से किया गया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के विषयों का आवंटन[5] निम्नलिखित है –

i- अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।

ii- जनजातीय कल्याण योजना, नीति तैयार करना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।

iii- जनजातीय विकास जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति शामिल है।

iv- अनुसूचित जनजातियों के विकास में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना।

v- निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय–

- अनुसूचित क्षेत्र।
- सड़कों, पुल निर्माण कार्य तथा उन पर नौघाटों को छोड़कर असम के स्वायत्त जिले।
- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न तालिका के भाग '1' में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाएँ गए विनियम।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जहाँ तक कि वे अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित है।
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय हेतु नोडल मंत्रालय है परन्तु इन समुदायों के विकास के कार्यक्रम, योजनाएँ, नीति मानीटरिंग आदि सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का दायित्व है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में नोडल मंत्रालय स्थापित करता है।

Estelar

औपनिवेशिक शासन के उद्‌भव ने जनजातियों और गैर–जनजातियों को एकल राजनीतिक और प्रशासनिक ढ़ाँचे के अंतर्गत खड़ा किया है। उन्होंने इसके लिए युद्ध फतह और कब्जा करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद नये और एक समान नागरिक तथा आपराधिक कानूनों की शुरुआत हुई और साथ ही एक ऐसा प्रशासनिक ढ़ाँचा कायम हुआ जो जनजातिय परम्परा और लोकाचार से भिन्न था। इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि व्यापक पैमाने पर भूमि जनजातिय लोगों से गैर–जनजातिय लोगों के पास चली गयी। इस प्रक्रिया में जालसाजी, बेईमानी, रेहन आदि तरीके अपनाये गये। इन सब बातों को देखते हुए राष्ट्रवादी नेतृत्व ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनजातिय समुदायों पर विशेष ध्यान दिया। संविधान में उनके लिए शामिल किये गये प्रावधानों से इसकी पुष्टि होती है। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के रूप में जनजातीय लोगों को अन्य नागरिकों के समान सिविल, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किये गये। नागरिक और राजनीतिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के दायरे में आते हैं जबकि सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में की गई है।[6]

भारतीय संविधान के अनुसार जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण

भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु प्रावधान किये गये हैं। जैसे–

अनुच्छेद 38 के अनुसार "राज्य यथा सम्भव प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था गठित एवं विकसित करने का प्रयास करेगा जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं का रूप धारण करेगा"

अनुच्छेद 46 के अनुसार "राज्य देश के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष

Estelar

सावधानी से विकसित करेगा, जो सामाजिक अभाव एवं समस्त प्रकार के शोषण से उनको सुरक्षा प्रदान करे।"

अनुसूचित जाति/जनजाति को संविधान में प्रदत्त विशेष अधिकारः–

अनुच्छेद 15 (4)– द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। 15 (4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों की उन्नति एवं प्रगति के लिए कोई भी उपबन्ध बनाने का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 16 (4)– पदों और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद 19 (5)– सम्पत्ति क्रय के मामले में राज्य अनुसूचित जनजाति के हितों के रक्षार्थ विशेष प्रतिबन्ध लगा सकता है।

अनुच्छेद 23– इसमें मानवीय व्यापार, बेगार और अन्य इसी प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 29 (2)– किसी भी नागरिक के लिए किसी ऐसी संस्था में प्रवेश को मनाही नहीं होगी जो राज्य द्वारा रख–रखाव के अन्तर्गत हो या केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा का इनमें से किसी आधार पर राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रहा हो।

अनुच्छेद 330, 332, 334– लोक सभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 339 (1)– राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये आयोग की नियुक्ति कर सकता है।

अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास सम्बन्धी प्रावधान– अनुच्छेद 275 और 339 में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिये प्रावधान किये गये हैं।

अनुसूचित 339 (2)– इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्देश में आवश्यक बताई गई योजनाओं के बनाने एवं निष्पादन के सम्बन्ध में है।

Estelar

अनुच्छेद 371 (क)– इसमें नागालैंड, 371 (ख) में असम, 371 (ग) में मणिपुर राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु किये गये प्रावधान[7]–

1. निर्धन जनजातीय परिवारों की स्थिति सुदृढ़ करना।
2. महिलाओं व बच्चों को लाभ पहुंचाना।
3. भूमिहीन मजदूरों का विकास।
4. जनजातियों के भूमि हस्तान्तरण कानून का दृढ़ता से पालन करा व जीवन स्तर को सुधारना।
5. परम्परागत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
6. अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास।
7. प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
8. जनजाति समुदायों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार करना। बिखरी जनजातियों पर ध्यान देना।
9. अनुसूचित जनजातियों की प्राकृतिक आपदाओं में मदद करना।

- अनुच्छेद 350 (क) में प्रावधान है कि ''प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगें जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं''। अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी–अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा के भाषा परिवार की नहीं होकर भिन्न भाषा परिवार की होती है।

Estelar

- अनुच्छेद (330)– लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद (332)– राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद (334)– में मूल रूप में यह व्यवस्था थी कि लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं की सीटों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के प्रारम्भ के दस वर्षों के लिए रखा गया था परन्तु छठी बार इस अनुच्छेद में संशोधन करके प्रावधान को जनवरी 2020 तक बढा दिया गया है।
- अनुच्छेद 243 (घ)– पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 371(क)– नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में जनजाति सम्बन्धी विशेष उपबन्ध वर्णित करता है।
- अनुच्छेद 371(ख)– असम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध वर्णित करता है।
- अनुच्छेद 371(ग)– मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध वर्णित करता है।
- अनुच्छेद 371(च)– सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबन्ध वर्णित करता है।
- अनुच्छेद 335– यह अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि ''संघ या किसी राज्य के कार्यक्लाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के

Estelar

दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा''।

- अनुच्छेद 320(4)
- अनुच्छेद 275 व 339 में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 339(1)– राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आयोग की नियुक्ती कर सकता है।
- अनुच्छेद 339(2)– इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्देश में आवश्यक बताई गयी योजनाओं के बनाने एवं निष्पादन के सम्बन्ध में है।

जनजातीय कार्य मंत्रालयः–

"जनजातीय कार्य मंत्रालय" का गठन अक्टूबर 1999 में हुआ। यह मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कां विभाजित करके अस्तित्व में आया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय एक समन्वित और आयोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक केन्द्रित ध्यान देने के उद्देश्य से किया गया था।

मंत्रालय का उद्देश्य–

1. अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा पर केन्द्रित होना।
2. जनजातीय कल्याण योजना, नीति तैयार करना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
3. जनजातियों के विकास के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान करना।
4. अनुसूचित जनजातियों के विकास में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना।

Estelar

5. निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक प्रबन्ध के प्रयास–

- अनुसूचित क्षेत्र
- सड़कों पुल निर्माण, आवास, भूमि सुधार
- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की छठी अनुसूची भाग 20 में संलग्न तालिका के भाग "क" विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपालों द्वारा बनाए गये विनिमय।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्देशों का मुद्दा है।

इस प्रकार जनजातीय कार्य मत्रालय अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गये विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय हेतु नोडल अभिकरण के रूप में भी कार्य करता है।

अनुसूचित जनजाति आयोगः–

संविधान का नवासिवां संशोधन अधिनियम 2003 के परिणाम स्वरूप दिनांक 19.02.2004 की पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोडकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन किया गया।

आयोग के कार्य तथा कर्तव्यः

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य, कार्य एवं शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के खण्ड (5) में निर्धारित किये गये हैं। खण्ड (5) में आयोग के कर्तव्य निम्न प्रकार उल्लेखित हैं।

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से सम्बन्धित सभी

Estelar

विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठी समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना।

(ड) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गयी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

मूल्यांकन

देश के विकास में निहित मूल समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या जनजातीय समाज को आधुनिक बनाना है। अतः जनजातियों के विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में आंका जाए और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनाई जाएँ क्योंकि प्रत्येक जनजाति की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएँ भी होती हैं। अतः कोई भी नीति सभी जनजातियों के लिए तब तक लाभप्रद नहीं हो सकती है जब तक कि इसमें स्थानीय समस्याओं के हल का उद्देश्य न हो। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए ताकि उनके विकास को एक विशेष गति मिल सके। किसी भी पिछड़े समाज को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए उसमें आगे

Estelar

बढ़ने की प्रबल भावना और शक्ति पैदा करना बहुत आवश्यक है। यह शक्ति दो प्रकार से आती है। प्रथम, उस समाज के विकास के लिए नवीन कार्य किए जाएँ, द्वितीय, जिन कारणों से समाज में पिछड़ापन आया है उन कारणों को जड़ मूल से समाप्त किया जाए। जनजातीय समाज के उत्थान की समस्या, आज के अन्य वर्गों के उत्थान की समस्या से बुनियादी तौर पर भिन्न है। अन्य वर्गों का उत्थान जहाँ कुछ नये कार्यों के क्रियान्वयन से हो सकता है, वहाँ जनजातियों का सर्वांगीण विकास इस बात पर निर्भर है कि जिन कारणों से जनजातीय समाज पिछड़ेपन से ग्रस्त है वे कारण किस सीमा तक समाप्त हुए हैं। जनजातियों के विषय में विकास के नये काम तब ही लाभप्रद एवं जीवन में परिवर्तन करने वाले सिद्ध हो सकते हैं; जब पिछड़ेपन के कारणों को पहले समाप्त किया जाए।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्धारण करना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें यह देखना होता है कि पिछड़े हुए समाज को आर्थिक लाभ उनके सामाजिक परिवेश को नष्ट किए बिना किस प्रकार पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए उनके व्यावसायिक स्वरूप, कृषि संरचना, सम्पत्ति के स्वरूप, आयु संरचना, ऋणग्रस्तता आदि आर्थिक कारकों के साथ उनकी चारित्रिक विशेषताओं अंधविश्वासों, धार्मिक रीति–रिवाजों, बाह्य संपर्क के परिणाम स्वरूप बदलते हुए जीवन मूल्यों और शिक्षागत राजनीतिक जागरूकता के परिणाम जैसे गैर आर्थिक कारणों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण बन जाता है।

Estelar

सदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, ब्रह्मदेव, ''आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन'' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1980, पृष्ठ संख्या–9.
2. शर्मा, ब्रह्मदेव, वही, पृष्ठ संख्या–13.
3. काश्यप, सुभाष, ''हमारा संविधान'', नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ संख्या– 62–68.
4. लक्ष्मीकांत, एम., ''भारत की राजव्यवस्था'' टाटा मेग्राहील एजूकेशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ संख्या–38.1–38.2.
5. लक्ष्मीकांत, वही, पृष्ठ संख्या–38.1.
6. योजना पत्रिका, भारत सरकार, अंक जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 07.
7. वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ–भारत 2011, वही, पृष्ठ संख्या–1103.

Estelar